



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक/ 4725 /MGNREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2012
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14/05/12

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वय
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
जिला ----- समस्त

विषय :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. अंतर्गत प्रशासनिक व्यय की उपगतिविधि सी-1 अंतर्गत वित्त वर्ष 2011-12 में प्रशासनिक व्यय की अतिरिक्त सीमा प्रदान किये जाने विषयक।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र./3492/NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2012 भोपाल दिनांक 30.3.2012

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में वित्त वर्ष 2011-12 में प्रशासनिक व्यय की उपगतिविधि सी-1 (Purchase of Computer Hardware and Software) के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के उपयोग हेतु लेपटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के तारतम्य में निर्देश देकर ड्राफ्ट की राशि प्राप्त की गई है।

चूंकि इस राशि को म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवेलोपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल को अग्रिम रूप से उपलब्ध कराया जायेगा अतः इस राशि को आपके जिलों में वित्त वर्ष 2011-12 में अग्रिम माना जाकर लेखों में समाहित किया जाये, तदनुसार लेखें संतुलित किये जाये। सामग्री प्राप्त होने पर नियमानुसार व्यय समायोजित किया जायेगा।

(नीरज मण्डलोई)

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल